पत्रांक–1 / नि० वि० स्था०–06 / 2025..................

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

रामाशंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक.........................

विषय :– नव अधिनियमित तीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में वर्णित श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग की विधिक अनिवार्यताओं के दृष्टिगत निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई के सभी अनुसंधानकर्त्ताओं को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्रतिपूर्त्ति के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल लागत राशि ₹ 1,02,40,000/- (एक करोड़ दो लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक सहित राशि विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

2. नव अधिनियमित तीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में वर्णित श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग की विधिक अनिवार्यताओं के दृष्टिगत निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई के सभी अनुसंधानकर्त्ताओं को लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्रतिपूर्त्ति के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल लागत राशि ₹ 1,02,40,000/- (एक करोड़ दो लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक सहित राशि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा लैपटॉप एवं स्मार्टफोन का क्रय प्रतिपूर्त्ति के आधार पर की जायेगी। अनुसंधानकर्त्ताओं के पदस्थापन कार्यालय को प्रस्तावित क्रय राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु राशि का आवंटन किया जाएगा। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा लैपटॉप एवं स्मार्टफोन क्रय करने के पश्चात् राशि की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी, जिसका भुगतान उनके द्वारा समर्पित विपत्र के आधार पर तथा न्यूनतम विशिष्टियों के सत्यापन उपरान्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा (क्रय से संबंधित स्व–घोषणा पत्र की प्रति संलग्न)। लैपटॉप एवं स्मार्टफोन की न्यूनतम विशिष्टियों का निर्धारण गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–12902 दिनांक–30.10.2024 के आलोक में किया जाएगा।

E:\AMARJEET KUMAR\2025\(9)\September

4. प्रतिपूर्त्ति के आधार पर अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा क्रय किये गये लैपटॉप एवं स्मार्टफोन को स्थायी रूप से अपने पास रखना अनिवार्य होगा ताकि उनके स्थानान्तरण के पश्चात् भी अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्यों अथवा किसी कार्रवाई के संबंध में किसी भ्रम के निवारण तथा विचारण के दौरान गवाही आदि कार्यो के लिए ससमय संपर्क स्थापित किया जा सके। यह सुविधा वैसे अनुसंधानकर्त्ताओं को दी जाएगी जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो गई हो तथा जिनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं हो। वैसे अनुसंधानकर्त्ता जिन्होंने गृह विभाग अथवा अन्य स्रोत से लैपटॉप एवं स्मार्टफोन प्राप्त कर ली है, उन्हें यह सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

5. क्रय किये जाने वाले लैपटॉप एवं स्मार्टफोन के रख–रखाव एवं अनुरक्षण की जिम्मेवारी संबंधित अनुसंधानकर्त्ता की होगी।

6. यह व्यवस्था एक बारगी (One Time) के लिए क्रियान्वित की जायेगी।

7. सामग्री के Depreciation एवं प्रतिस्थापन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश प्रभावी होंगे।

8. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में निगरानी विभाग की मांग सं०–07 के अधीन निम्नलिखित संगत बजट शीर्षो के अंतर्गत मशीनें एवं उपस्कर मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :–

क्र० सं०	इकाई का नाम	विपत्र कोड
1	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।	2070–00–001–0007–5201
2	विशेष निगरानी इकाई, पटना।	2070–00–001–0010–5201

9. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना एवं विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा नामित संबंधित बजट शीर्ष के प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. इस पर अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

(रामाशंकर)

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\AMARJEET KUMAR\2025\(9)\September

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांक :**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/गृह विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांक :**

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6292 **/पटना, दिनांक :** 17/09/25

प्रतिलिपिः– प्रभारी लेखा शाखा/आई०टी० प्रबंधक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/25
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\AMARJEET KUMAR\2025\(9)\September

लैपटॉप/स्मार्टफोन क्रय से संबंधित स्व–घोषणा पत्र

1. मैं .... पदनाम .... वर्त्तमान पदस्थापन .... नियुक्ति का वर्ष .... बैच .... कोटि क्रमांक .... यह घोषणा करती/करता हूँ कि मैने निगरानी विभाग के पत्रांक .... दिनांक .... के आलोक में लैपटॉप/स्मार्टफोन क्रय किया जाता है, जिसकी कुल लागत ₹................/- (.. रूपये) है।
2. क्रय किए गए लैपटॉप/स्मार्टफोन का विपत्र मेरे नाम से है। मूल विपत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
3. मेरा जन्म तिथि .... है। मेरी उम्र 55 वर्ष से कम है। लैपटॉप/स्मार्टफोन के क्रय की तिथि को मेरी आयु .... वर्ष .... माह है।
4. मेरे द्वारा किसी अन्य स्रोत से लैपटॉप/स्मार्टफोन क्रय हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं की गयी है।
5. मेरे द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप/स्मार्टफोन को सेवानिवृत्ति के समय अनिवार्य रूप से रिर्टन किया जायेगा एवं सेवानिवृत्ति के तिथि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ह्रास दर के आधार पर लैपटॉप/स्मार्टफोन की प्रतिपूर्त्ति राशि का अनुमान्य Depreciation Cost की राशि राजकोष में जमा कर इसकी सूचना अपने कार्यालय/विभाग को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
6. निगरानी विभाग का पत्रांक– .... दिनांक .... के आलोक में कुल ₹................/- (...रूपये) मेरे निम्न बैक के खाते में हस्तांतरित की जाए :–

खाताधारक का नाम	
खाता संख्या	
बैंक का नाम	
शाखा	
IFSC Code	

हस्ताक्षर

स्थान : ....

नाम :

तिथि : ....

पदनाम :

नोट :– सभी कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से सूचना अंकित की जाए एवं जो लागू नहीं हो उसे काट दें।